

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय
क्रमांक:प.5(202)/निकृवि/आवंटन/कृ.प्र./2014-15/

जयपुर, दिनांक 23.8.18
28368-536

कार्यालय-आदेश


राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणों में अचल संपत्ति आवंटन नीति, 2005 में विद्यमान प्रावधानों के तहत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन हेतु कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को भूखण्ड आवंटन करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक 37687-88 दिनांक 16.12.16, 41230 दिनांक 19.01.17, 49656 दिनांक 24.03.17 एवं 3467 दिनांक 28.04.17 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति उपरांत उक्त विज्ञप्ति को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


(दीपक नन्दी)
निदेशक
कृषि विपणन

क्रमांक:प.5(202)/निकृवि/आवंटन/कृ.प्र./2014-15/
जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रशासक, राज. रा.कृ.वि. बोर्ड, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, समस्त।
7. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
8. प्रोग्रामर, राज. रा.कृ.वि. बोर्ड, / कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(दयानन्द सिंह)
संयुक्त
निदेशक-II
कृषि विपणन